उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 12 | 16-30 जून 2024 | ₹ 20/-

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर विवाद

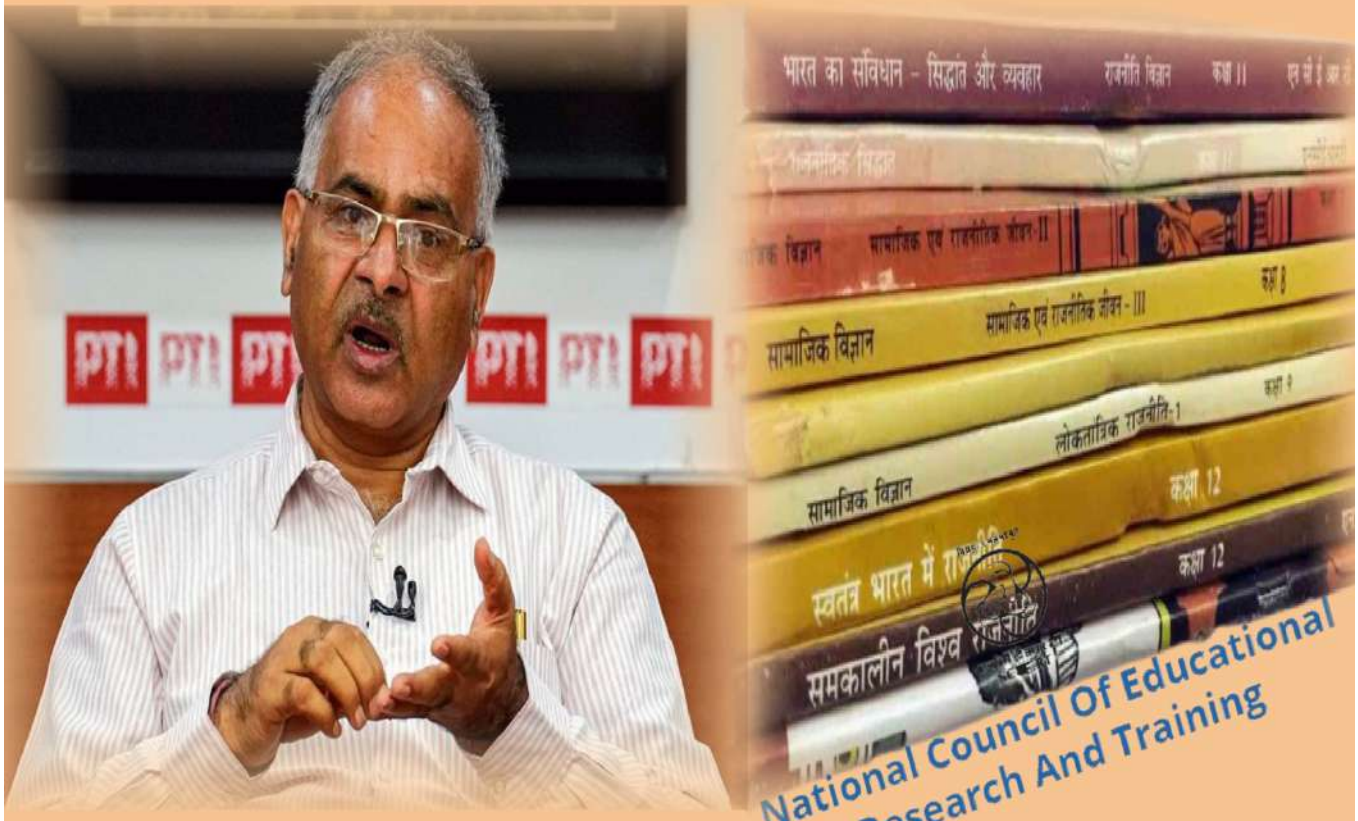

- भोजशाला परिसर से देवी-देवताओं की मूर्तियां बरामद
- मुस्लिम देश ताजिकिस्तान में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध
- स्लोवेनिया और आर्मीनिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता
- हाजियों की मौत से मुस्लिम जगत में मचा बवाल

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर विवाद 04
मुस्लिम लीग और तहरीक-ए-हुर्रियत पर प्रतिबंध की पुष्टि 07
भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत 10
आतंकी संगठन हिज्ब उत-तहरीर से संबंधित आतंकवादियों की तलाश में छापे 12
भोजशाला परिसर से हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां बरामद 13

विश्व

मुस्लिम देश ताजिकिस्तान में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध 16
पाकिस्तान में उग्र भीड़ ने एक पर्यटक को जिंदा जलाया 17
रूस में ईसाइयों और यहूदियों के उपासना स्थलों पर आतंकी हमले 19
निकारागुआ ने दी तालिबान सरकार को मान्यता 21
पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख पर इमरान सरकार का तख्ता पलटने का आरोप 23

पश्चिम एशिया

स्लोवेनिया और आर्मीनिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता 24
हाजियों की भारी संख्या में मौत से मुस्लिम जगत में मचा बवाल 25
नाइजीरिया में इस्लामी आतंकवादियों के हमले में 18 की मौत 27
तुर्किये में घरेलू हिंसा में वृद्धि 28
कुवैत के अमीर के विरोधी नेता को सजा 29

सारांश

बड़ी अजीब बात है कि विदेशियों के इशारे पर कट्टरपंथी लोग भारत में हिंसा के जरिए इस्लामी खिलाफत को स्थापित करने का स्वप्न देख रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस साजिश से जुड़े हुए दो लोगों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। इससे पहले एनआईए ने देश के विभिन्न भागों में छापे मारकर आतंकी संगठन हिज्ब उत-तहरीर से संबंधित 16 लोगों को हिरासत में लिया था। बता दें कि हिज्ब उत-तहरीर नामक इस अंतरराष्ट्रीय इस्लामी आतंकी संगठन की स्थापना 1953 में की गई थी। इसका मकड़जाल विश्व के कई दर्जन देशों में फैला हुआ है। 2003 में जर्मनी की सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले साल अक्टूबर महीने में हमास ने इजरायल पर हमला किया था। हमास के इस हमले के बाद हिज्ब उत-तहरीर से जुड़े हुए लोगों ने ब्रिटेन में खुलकर जश्न मनाया था और हमास के आतंकवादियों की जमकर प्रशंसा की थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अतिरिक्त कई अन्य देशों ने भी हिज्ब उत-तहरीर पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस संगठन पर यहूदी विरोधी भावना भड़काने का भी आरोप है। भारत में यह इस्लामी आतंकी संगठन हाल ही में सक्रिय हुआ है।

केंद्र सरकार ने पिछले साल मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम गुट) और तहरीक-ए-हुर्रियत पर जो प्रतिबंध लगाया था उसकी पुष्टि यूएपीए से संबंधित ट्रिब्यूनल ने कर दी है। इन दोनों संगठनों के तार पाकिस्तान और उसकी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। ये संगठन जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर प्रचार करते रहे हैं और आतंकवाद की ज्वाला भी भड़काते रहे हैं। इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में किसी भी पाकिस्तान समर्थक संगठन को सहन नहीं करेगी और देशद्रोह की इन गतिविधियों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा।

ताजिकिस्तान की सरकार ने देश में बुर्का और हिजाब पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया है। ताजिकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और यहां की 98 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है। कभी यह देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। शायद मध्य एशिया में यह एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है, जिसने हिजाब और बुर्के के इस्तेमाल पर कानूनन प्रतिबंध लगाया है। जो लोग इस लिबास का इस्तेमाल करेंगे उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भवन भोजशाला के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। बताया जाता है कि इस अत्याधुनिक सर्वेक्षण के दौरान भोजशाला परिसर से 1700 से अधिक पुरावशेष बरामद हुए हैं, जिन्हें पुरातत्व विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इन पुरावशेषों में हिंदू देवी-देवताओं की 39 खंडित मूर्तियां भी शामिल हैं। इन अवशेषों से इस बात की पुष्टि होती है कि इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण परमार वंश के महाराजा भोज ने करवाया था और इसमें वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर की भी स्थापना की थी।

इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके एक सेनापति दिलावर खान ने भोजशाला को जबरन एक मस्जिद में बदल दिया था और उसमें एक मजार भी बनवा दिया था। मुसलमानों का दावा है कि यह मजार कमालुद्दीन चिश्ती का है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पुरातत्व विशेषज्ञ माइकल विलिस ने अपने शोधपत्र में इस बात की पुष्टि की थी कि भोजशाला वास्तव में वाग्देवी का मंदिर था। इस भवन पर शोध करने के बाद इस ब्रिटिश पुरातत्व विशेषज्ञ ने यह भी पुष्टि की थी कि इस दरगाह के स्तंभ प्राचीन हिंदू मंदिर के हैं, जिन पर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां मौजूद है। इस दरगाह के फर्श पर तीन संस्कृत शिलालेख भी मौजूद हैं, जो दसवीं शताब्दी के बताए जाते हैं।

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर विवाद

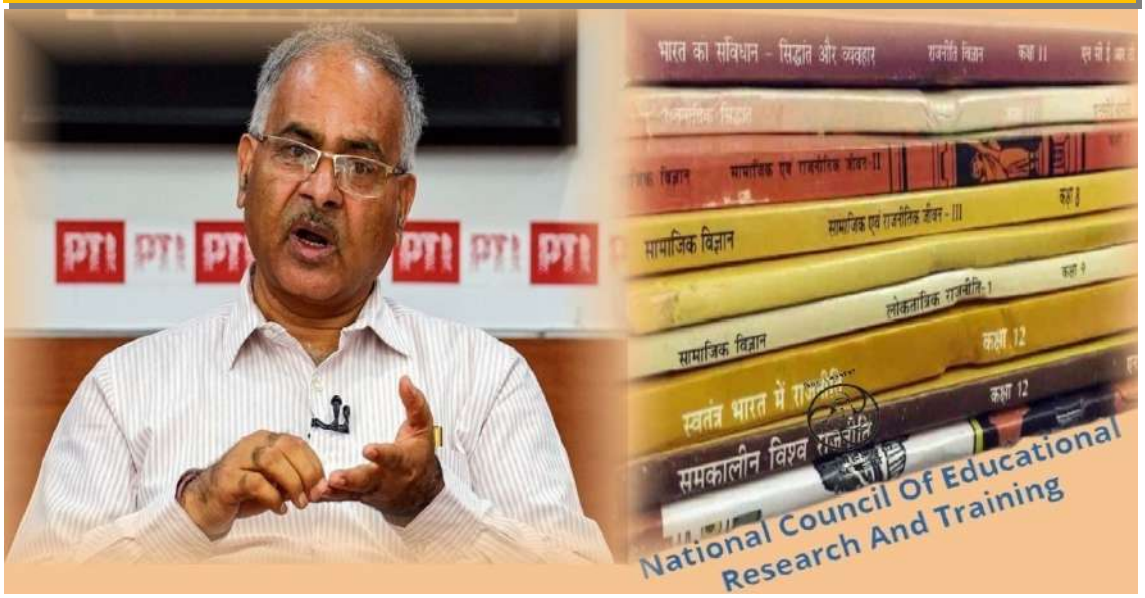

इंकलाब (17 जून) के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने पाठ्यपुस्तकों को भगवा रंग में रंगने और इतिहास से छेड़छाड़ करने के सिलसिले को जारी रखा है। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान पुस्तक में बाबरी मस्जिद नाम के बजाय इसे तीन गुंबद वाला ढांचा करार दिया है। इससे मुसलमानों में भारी गुस्सा है। इससे पहले इन पुस्तकों से गुजरात दंगों से जुड़े अध्याय को भी हटा दिया गया था। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि पाठ्यपुस्तकों में गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के बारे में इसलिए संशोधन किया गया है ताकि इन घटनाओं से नई पीढ़ी में हिंसा और हताशा की भावना न उत्पन्न हो।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि पाठ्यपुस्तकों से न सिर्फ बाबरी मस्जिद को गिराए जाने, बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के उल्लेख को भी हटा दिया गया है। इस रथ यात्रा के कारण देश के अनेक भागों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। समाचारपत्र का कहना है कि अगर सकलानी के इस स्पष्टीकरण को सही माना जाए तो मुगल काल में हुए युद्ध से संबंधित सभी घटनाओं को इन पुस्तकों से हटा देनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी देश में हिंसा और हताशा का वातावरण पैदा हो सकता है। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान पुस्तक में बाबरी मस्जिद को तीन गुंबद वाला ढांचा करार देते हुए कहा गया है कि इसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। इसके बाद इस पाठ में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का भी उल्लेख किया गया है, जिसके कारण राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो सका है। संशोधित पाठ्यपुस्तकों में बाबरी मस्जिद के उल्लेख को हटाने के साथ-साथ अयोध्या की घटनाक्रम से संबंधित दो पृष्ठ भी हटा दिए गए हैं। प्रो. सकलानी ने कहा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया है तो क्या इसे किताबों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए?

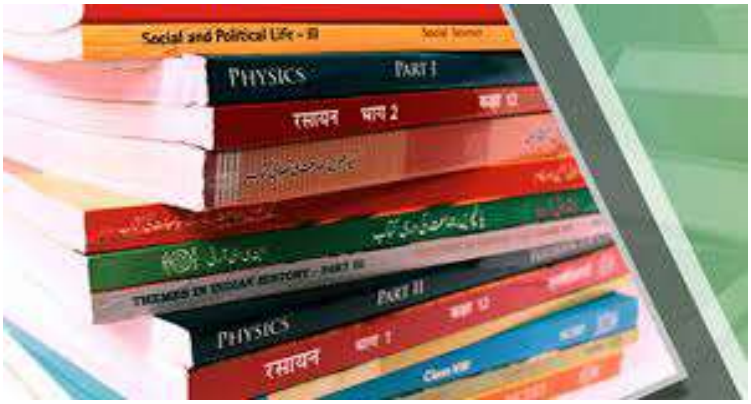

इसमें क्या समस्या है? हमने किताबों में संशोधन करके उनमें नई जानकारियों को जोड़ा है। अगर हमने नए संसद भवन का निर्माण किया है तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम किताबों में पुराने और नए संसद भवन का विस्तृत रूप से उल्लेख करें।

गौरतलब है कि एनसीईआरटी इससे पहले मुगल काल से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास की पुस्तकों से हटा चुकी है। इसके अतिरिक्त इन पुस्तकों से मौलाना अबुल कलाम आजाद से संबंधित अध्याय को भी हटा दिया गया है। इसी संस्थान ने 12वीं कक्षा की किताबों से मुगल साम्राज्य से जुड़े अध्यायों को भी हटा दिया था। इसके बाद 11वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान पुस्तक से गुजरात दंगों के उल्लेख को भी हटा दिया गया।

एतेमाद (17 जून) के अनुसार पीटीआई के संवाददाता से बातचीत करते हुए एनसीईआरटी के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि यह संशोधन वार्षिक पुनरीक्षण की योजना का हिस्सा है। इस पर इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। किताबों से गुजरात दंगों के संदर्भ को हटाए जाने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें स्कूल की किताबों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए? हम सकारात्मक नागरिक तैयार करना चाहते हैं, न कि हिंसक और हताश पीढ़ी। सकलानी ने कहा कि क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वे आक्रामक हो जाएं और समाज में नफरत पैदा करें? क्या शिक्षा का यही मकसद है? क्या हमें छोटे बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाना चाहिए? जब वे बड़े होंगे तो इसके बारे में खुद जान जाएंगे। वे समझ जाएंगे कि क्या हुआ और क्यों हुआ।

समाचारपत्र का कहना है कि प्रो. सकलानी ने यह टिप्पणी तब की है जब नई संशोधित किताबें बाजार में आ गई हैं। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान पुस्तक में गुजरात दंगों से संबंधित अध्याय को चार पृष्ठों के बजाय दो पृष्ठों में समेट दिया गया है और उसका पूरा विवरण हटा दिया गया है। पुस्तक में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख विस्तृत रूप से किया गया है। एनसीईआरटी की किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि राम मंदिर के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देश भर में सराहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की।

प्रो. सकलानी ने कहा कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को पाठ्यपुस्तकों में शामिल नहीं करने पर आज तक इस तरह का कोई बवाल नहीं मचाया गया। किताबों से जो बातें हटाई गई हैं उनमें सोमनाथ से अयोध्या तक भाजपा की रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के बाद देशभर में हुए सांप्रदायिक दंगे, कार सेवकों की भूमिका, भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अयोध्या की घटना पर भाजपा का खेद प्रकट करना आदि शामिल हैं। सकलानी से पूछा गया कि पाठ्यपुस्तकों को भगवा रंग में रंगने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है? इस पर उन्होंने कहा कि हालात और घटनाक्रम में परिवर्तन होने के कारण अगर कोई बात

महत्वहीन हो जाए तो क्या उसे बदल लेना उचित नहीं है? मुझे पाठ्यपुस्तकों के संशोधन में भगवाकरण की बात दूर-दूर तक नजर नहीं आती। हम छात्रों को इतिहास पढ़ाते हैं ताकि उन्हें तथ्यों की सही जानकारी मिले। क्या हम उन्हें युद्ध के लिए तैयार करें?

मुंबई उर्दू न्यूज (20 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीईआरटी की पुस्तकों से बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों से संबंधित सामग्री को हटाने के बारे में जो आपत्ति की है, वह बिल्कुल जायज है। 11वीं और 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताबों में अब बाबरी मस्जिद लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब उसके स्थान पर तीन गुंबद वाला ढांचा का उल्लेख होगा। किताबों से अयोध्या के उस पूरे घटनाक्रम को निकाल दिया गया है जो बाबरी मस्जिद को गिराए जाने पर प्रकाश डालती है। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने इसे उचित ठहराया है। उनकी मानें तो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के उल्लेख से नागरिकों में हिंसा और हताशा की भावना पनपेगी।

जब सकलानी से पूछा गया कि इन किताबों में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करने पर ज्यादा जोर क्यों दिया गया है? इस पर सकलानी यह सफाई पेश करते हैं कि इतिहास तथ्य पेश करती है। इतिहास कोई युद्ध का मैदान नहीं है। अगर सकलानी के स्पष्टीकरण को सही मान लिया जाए तो यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बाबरी मस्जिद की शहादत पर जो कटु आलोचना की थी उसे निर्णय से क्यों निकाल दिया गया? गोगोई की निंदक टिप्पणी तब भी एक हकीकत थी और आज भी एक हकीकत है। इतना ही नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद का नाम भी एक हकीकत है और इस हकीकत को किताबों से क्यों हटाया गया? ओवैसी का यह कहना बिल्कुल सही है कि इस देश की नई पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने को 'आपराधिक हरकत' की संज्ञा क्यों दी थी? ओवैसी अगर यह कहते हैं कि नई पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि 1949 से 1952 तक बाबरी मस्जिद में पांचों वक्त की नमाज होती थी और फिर उसे शरारती तत्वों ने ध्वस्त कर दिया तो इसे कैसे गलत कहा जा सकता है?

सकलानी ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह पाठ्यपुस्तकों को हिंदुत्व के एजेंडे के अनुसार ढालने की एक बचकाना सफाई है। संघ परिवार और भाजपा ने कभी भी बाबरी मस्जिद को मस्जिद नहीं कहा है, बल्कि उसे बाबरी ढांचा ही कहा है। सकलानी ने पाठ्यपुस्तक में 'ढांचा' शब्द को शामिल करके संघी एजेंडे पर ही अमल किया है। भाजपा ने अपनी राजनीतिक सफलताएं बाबरी मस्जिद की शहादत, उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों और इन दंगों में मारे जाने वाले लोगों की कीमत पर ही हासिल की है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद देशभर में जो दंगे हुए उसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। सकलानी यह भूल गए हैं कि इतिहास को कितना भी मिटाया जाए, लेकिन वह किसी न किसी तरह से जिंदा

रहता है और एक दिन राख के ढेर से पुनर्जीवित हो जाता है। मुगल इतिहास मिटाए जाने के बावजूद भी कभी नहीं मिटेगा।

समाचारपत्र ने कहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के भगवाकरण का जो सिलसिला शुरू किया गया है उसका लक्ष्य एक झूठा इतिहास गढ़ना है और अपराधियों को हीरो बनाकर पेश करना है। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे सच और झूठ में फर्क न कर सकें। अब महात्मा गांधी का ही उदाहरण ले लें। इन किताबों से गांधी के कामों और उनकी उपलब्धियों को हटा दिया गया है। सिर्फ उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का ही नाम बरकरार रखा गया है। इन किताबों से यह हटा दिया गया है कि वह कौन था और उसकी विचारधारा क्या थी? हालांकि, लोग जानते हैं कि वह वीर कहलाने वाले सावरकर का भक्त और आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था। सकलानी का लक्ष्य स्पष्ट है कि संघ और भाजपा को क्लीन चिट दे दी जाए, इसलिए किताबों से गुजरात दंगों को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। इसका एक उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा करना भी है, जो गुजरात में हुए नरसंहार के मुख्य आरोपियों में हैं। आज 2002 के गुजरात दंगों का लिखित दस्तावेज मौजूद है, जिन्हें मिटा पाना नामुमकिन है। भले ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर कितनी भी पाबंदियां क्यों न लगाई जाएं, लेकिन सच सिर चढ़ कर बोलता है। सकलानी को चाहिए कि वे तथ्यों को सिर्फ पेश करने की बातें ही न करें, बल्कि उन्हें सही मायनों में पेश भी करें। वरना उनके इस दावे को कभी नहीं माना जाएगा कि इन पुस्तकों में संशोधन किसी दबाव के तहत नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के सुझाव पर किए गए हैं।

मुस्लिम लीग और तहरीक–ए–हुर्रियत पर प्रतिबंध की पुष्टि

रोजनामा सहारा (23 जून) के अनुसार पिछले साल दिसंबर महीने में केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) और तहरीक-ए-हुर्रियत पर यूएपीए के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। अब यूएपीए ट्रिब्यूनल ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि इस प्रतिबंध के पुनरीक्षण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सचिन दत्ता के नेतृत्व में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। अब इस ट्रिब्यूनल ने इस प्रतिबंध को उचित

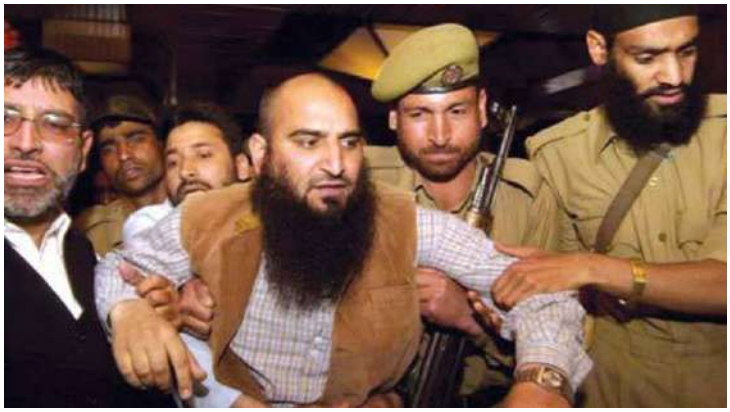

करार दिया है। इन संगठनों पर देशद्रोह और पृथकतावादी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। इसके साथ ही इन संगठनों के बैंक खातों और आर्थिक लेनदेन को भी फ्रीज कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस साल के जनवरी महीने में मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर की सारी संपत्ति फ्रीज कर दी थी।

केंद्र सरकार 2018 से अब तक पाकिस्तान समर्थक छह पृथकतावादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। केंद्र सरकार ने सबसे पहले पाकिस्तान समर्थक एक महिला संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत को आतंकी संगठन घोषित करके उस पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध यूएपीए की धारा 35 के तहत लगाया गया था। इसके बाद जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) पर यूएपीए की धारा 3 के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि इस संगठन की भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जहां तक मसरत आलम का संबंध है, वह श्रीनगर का रहने वाला है। 1990 में उसने पाकिस्तान समर्थित आतंकी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया था। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दो साल से भी अधिक समय तक वह जेल में बंद रहा। जेल से रिहा होने के बाद उसने पाकिस्तान समर्थक एक अलगाववादी संगठन मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर की स्थापना की। मसरत आलम ने 2007 में श्रीनगर में पाकिस्तान समर्थक सैयद अली शाह गिलानी के समर्थन में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। कश्मीर घाटी में भारत विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन के आरोप में 2015 में उसे गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज किए गए। तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

अगर तहरीक-ए-हुर्रियत की बात करें तो इसका गठन 2004 में जम्मू-कश्मीर के पृथकतावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने किया था। यह पृथकतावादी संगठन ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस का एक सहयोगी संगठन है।

ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस का गठन जुलाई 1993 में पृथकतावादी संगठनों के एक मंच के रूप में किया गया था। इसमें पाकिस्तान समर्थक जम्मू-कश्मीर के 26 अलगाववादी संगठन शामिल हैं। इस नए संगठन के गठन से पूर्व पृथकतावादी संगठनों ने एक अन्य राजनीतिक मंच तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर बना रखा था। इसका नेतृत्व एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम कर रहे थे। इसमें पाकिस्तान समर्थक दस संगठन शामिल थे। इनमें जमात-ए-इस्लामी, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ), मुस्लिम कांफ्रेंस, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, महाज-ए-आजादी, मुस्लिम ख्वातीन मरकज, कश्मीर बार एसोसिएशन, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दुख्तरान-ए-मिल्लत और जमीयत-ए-अहले हदीस आदि शामिल थे। जब यह संगठन कश्मीरी जनता में अपने पैर पसारने में सफल नहीं हुआ और जम्मू-कश्मीर आवामी

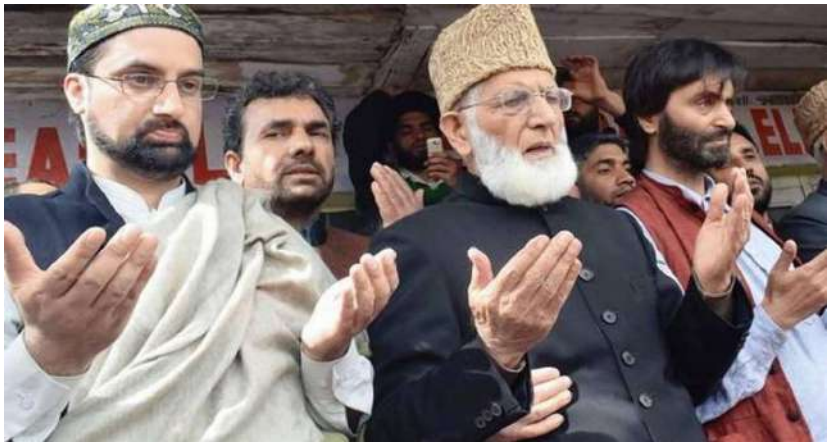

एक्शन कमेटी के प्रमुख मीरवाइज मोहम्मद फारूक की हत्या कर दी गई तो ऑल पार्टीज हुर्रियत कांफ्रेंस का गठन किया गया। इस संगठन का पहला अध्यक्ष मीरवाइज मोहम्मद फारूक का बेटा मीरवाइज उमर फारूक बना। इस संगठन की कार्यकारी परिषद में सात पार्टियां शामिल थीं, जिनमें सैयद अली शाह गिलानी की जमात-ए-इस्लामी, मीरवाइज उमर फारूक की आवामी एक्शन कमेटी, शेख अब्दुल अजीज की पीपुल्स लीग, मौलवी अब्बास अंसारी की इत्तेहादुल मुस्लिमीन, प्रो. अब्दुल गनी भट की मुस्लिम कांफ्रेंस, यासीन मलिक की जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और अब्दुल गनी लोन की पीपुल्स कांफ्रेंस शामिल थीं।

2002 में आतंकवादियों ने अब्दुल गनी लोन की हत्या कर दी। 2002 में ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव से पहले दोनों गुटों के बीच मतभेद पैदा हुए और गिलानी गुट ने तत्कालीन हुर्रियत अध्यक्ष अब्बास अंसारी को उसके पद से हटाकर पाकिस्तान समर्थक कट्टरवादी मसरत आलम को इस संगठन का अध्यक्ष बना दिया। गिलानी ने जमात-ए-इस्लामी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद ऑल पार्टीज हुर्रियत कांफ्रेंस में अंतर्द्वंद्व शुरू हो गया और 2003 में इस संगठन में विभाजन हो गया। एक गुट का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी ने संभाला। उसने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र माना जाए और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाए ताकि कश्मीरी अपने भविष्य का फैसला कर सकें। जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व मीरवाइज उमर फारूक के हाथ में था और उसने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 2004 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से दिल्ली में वार्ता शुरू की। इसके बाद इस गुट का एक नेता यासीन मलिक पाकिस्तान गया और उसने पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में तथाकथित आजाद कश्मीर के विभिन्न नेताओं और पाकिस्तान सरकार से बातचीत शुरू की। कहा जाता है कि इस वार्ता को वाजपेयी सरकार का समर्थन प्राप्त था, जो कश्मीर में शांति स्थापित करना चाहती थी। गिलानी गुट ने इस वार्ता का विरोध किया।

2004 में ही गिलानी ने एक नया संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर का गठन किया। 2014 में मीरवाइज गुट में भी विभाजन हो गया और उसके चार घटक उससे अलग हो गए। 2021 में गिलानी की मृत्यु के बाद हुर्रियत कांफ्रेंस (गिलानी गुट) का नेतृत्व मसरत आलम ने संभाला।

हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ पाकिस्तान के संबंध जगजाहिर हैं। 2001 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आगरा वार्ता करने से पहले दिल्ली में हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं से गुप्त मुलाकात की थी। इसके बाद मुशर्रफ 2005 में फिर से इन अलगाववादी नेताओं से नई दिल्ली में

मिले। अप्रैल 2007 में जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शौकत अजीज दिल्ली आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान हाउस में इन पृथकतावादी नेताओं से मुलाकात की थी। 2011 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी इन नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की थी। 2013 में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज जब दिल्ली आए तो उन्होंने भी इन अलगावादी नेताओं से मुलाकात की थी। 2015 में दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक बुलाने का फैसला किया गया था। इस बैठक से पहले पाकिस्तानी उच्चायोग ने हुर्रियत कांफ्रेंस के दोनों गुटों के नेता यासीन मलिक और शब्बीर शाह को सरताज अजीज के साथ गुप्त मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया था। भारत सरकार ने इसका विरोध किया और इस बैठक को स्थगित करने की घोषणा की।

भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत

रोजनामा सहारा (23 जून) के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच दस महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए आज हमने भविष्य का विजन तैयार किया है। इनमें हरित साझेदारी, डिजिटल साझेदारी, अंतरिक्ष और सागर से संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति, एक्ट ईस्ट नीति, विजन सागर और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के संगम पर स्थित है। पिछले एक साल में भारत और बांग्लादेश ने मिलकर अनेक ऐसी योजनाएं पूरी की हैं, जो इन दोनों देशों के इतिहास में बेहद महत्व रखती हैं। इनमें बांग्लादेश से सीधा रेलवे संपर्क भी शामिल हो गया है। अब अखौरा और अगरतला के बीच रेल सेवा शुरू हो गई है। खुलना की मोंगला पोर्ट ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को माल भेजने के लिए कार्गो की सुविधा शुरू कर दी है। मोंगला बंदरगाह को पहली बार रेल मार्ग से जोड़ा गया है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट ने बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस प्लांट की क्षमता 1320 मेगावाट है। दोनों देशों

के बीच भारतीय रुपये में व्यापार की शुरुआत हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार मैत्री पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग का पहला उदाहरण है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत बांग्लादेश का पड़ोसी और सबसे विश्वस्त मित्र है। हमारे लिए भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। इन संबंधों की शुरुआत 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से हुई थी। भारत ने चिकित्सा उपचार हेतु बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए मेडिकल ई-वीजा की सुविधा देने की घोषणा की है। इसके लिए भारत सरकार बांग्लादेश के रंगपुर में एक सहायक उच्चायोग खोलेगी। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर चर्चा के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी टीम भी भेजने का फैसला किया है। बांग्लादेश समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान और भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के बीच समझौता हुआ है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने सैन्य शिक्षा के मामले में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे।

समाचारपत्र ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का उल्लेख करते हुए अपने संपादकीय में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। भारत ने अपनी ओर से चीन और पाकिस्तान के साथ भी संबंधों को सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। चीन की विस्तारवादी नीति जगजाहिर है और उससे दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और फिलीपींस जैसे कई देश परेशान हैं। भारत का बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव के साथ सदियों से घनिष्ठ संबंध है। हालांकि, अब चीन यह कोशिश कर रहा है कि इन देशों का संबंध भारत के साथ बिगड़े। बांग्लादेश में खालिदा जिया के सत्ता में आने के बाद यह महसूस हुआ था कि हालात बदल रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच के संबंधों में काफी सुधार हुआ है। चीन ने शेख हसीना को भी अपने मकड़जाल में फंसाने का प्रयास किया था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती हैं कि उनका असली हमदर्द कौन है। बांग्लादेश चीन के बाद सबसे ज्यादा आयात भारत से ही करता है। यही कारण है कि बांग्लादेश की हालत कभी भी पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी नहीं हुई। शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश ने कभी भी भारत को नजरअंदाज करके चीन से दोस्ती बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। दूसरी, ओर चीन का यह प्रयास जारी है कि वह किसी भी तरह से बांग्लादेश को अपने मकड़जाल में फंसा ले। यही कारण है कि भारत अब तीस्ता प्रोजेक्ट हेतु आर्थिक सहयोग देने के लिए तैयार है।

आतंकी संगठन हिज्ब उत–तहरीर से संबंधित आतंकवादियों की तलाश में छापे

सहाफत (1 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस्लामी आतंकी संगठन हिज्ब उत-तहरीर के आतंकवादियों की तलाश में देशभर के दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापे मारे और कई दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। एनआईए इस आतंकी संगठन के बारे में विस्तृत रूप से जांच कर रही है ताकि इससे जुड़े हुए अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यह पहला अवसर है जब हिज्ब उत-तहरीर नामक यह इस्लामी आतंकी संगठन एनआईए के रडार पर आया है। एनआईए के एक प्रवक्ता के अनुसार तमिलनाडु में 10 स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं और कार्रवाई अभी जारी है। इससे पहले इस संगठन से जुड़े हुए आतंकवादियों की तलाश में गुप्तचर एजेंसी ने कई स्थानों पर छापे मारे थे।

गौरतलब है कि 2021 में हिज्ब उत-तहरीर से जुड़े मोहम्मद इकबाल नामक एक व्यक्ति को तमिलनाडु के मदुरै से गिरफ्तार किया गया था। जब इस संबंध में विस्तृत जांच की गई तो यह पता चला कि इस संगठन के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं और हाल ही में उसे विदेशों से हवाला के जरिए भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई है। यह आतंकी संगठन जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवकों को हिंसक गतिविधियों का प्रशिक्षण दे रहा था। जांच में यह पता चला कि युवकों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करके उन्हें हिज्ब उत-तहरीर में भर्ती किया जाता था। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर गुप्त प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाता था। इन शिविरों में उन्हें बम बनाने और हथियारों का इस्तेमाल करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। बताया जाता है कि इस संगठन द्वारा देशभर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि अन्य धर्मों के अनुयायियों को इस्लाम में शामिल किया जा सके। इसके लिए उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन और विदेशों में भारी वेतन पर नौकरी देने का भी झांसा दिया जाता था। पिछले साल इस संबंध में मध्य प्रदेश से 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से आठ हिंदू थे। बाद में इनका धर्मांतरण करके इन्हें मुसलमान

बात पर जोर दिया गया है कि भारत अभी तक दारुल कुफ्र (काफिरों की भूमि) है और इसे जिहाद के जरिए एक इस्लामी देश में बदलकर यहां पर इस्लामी खिलाफत को स्थापित करना है। इस संबंध में तमिलनाडु के मदुरै जिले में यूएपीए के तहत एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

बनाया गया था। अब तक इस संगठन से जुड़े हुए 50 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए का दावा है कि इस आतंकी संगठन का मकड़जाल देशभर में फैला हुआ है।

एक अन्य समाचार के अनुसार एनआईए ने इस आतंकी संगठन के कैडर की तलाश में तमिलनाडु के पांच जिलों में 10 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान अब्दुल रहमान और मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों तमिलनाडु के तंजावुर जिले के रहने वाले हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये दोनों आतंकवादी देश में इस्लामी हुकूमत की स्थापना के लिए गुप्त प्रशिक्षण केंद्र चला रहे थे। उनके कब्जे से हिज्ब उत-तहरीर के संस्थापक तकी अल-दीन अल-नभानी का इस्लामी संविधान भी बरामद हुआ है। इस संविधान में इस

जानकारी के अनुसार पिछले साल अक्टूबर महीने में हमास के इजरायल पर हमले के बाद इस संगठन ने ब्रिटेन में खुले आम जश्न बनाया था और हमास के आतंकवादियों की जमकर प्रशंसा की थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के अनुसार इस आतंकी संगठन की स्थापना 1953 में दुनियाभर में इस्लामी खिलाफत की स्थापना के लिए की गई थी। इस आतंकी संगठन का मुख्यालय लेबनान में बताया जाता है। इसका मकड़जाल विश्व के 32 से भी अधिक देशों में फैला हुआ है। 2003 में जर्मनी में भी इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था। हाल ही में गाजा पर इजरायली हमले के बाद यह संगठन दुनियाभर में फिर से सक्रिय हो गया है और उसने भारत में भी इस्लामी हुकूमत की स्थापना हेतु अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं।

भोजशाला परिसर से अनेक हिंदू देवी–देवताओं की मूर्तियां बरामद

सहाफत (1 जुलाई) के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने मार्च महीने में भारतीय पुरातत्व विभाग को भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण करवाने का निर्देश दिया था। इससे पहले वकील विष्णु शंकर जैन ने भोजशाला के सर्वेक्षण कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। बताया जाता है कि सर्वेक्षण के दौरान इस भवन और उसके आसपास 1700 से अधिक पुरावशेष मिले हैं, जिनमें हिंदू देवी-देवताओं की 39 खंडित मूर्तियां भी शामिल हैं। इन मूर्तियों में वाग्देवी (सरस्वती), महेश्वर, गणेश, कृष्ण, ब्रह्मा और हनुमान की मूर्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस परिसर में अनेक स्तंभ और अन्य पुरावशेष भी बरामद हुए हैं। सर्वेक्षण का यह पूरा कार्य हिंदू और मुस्लिम

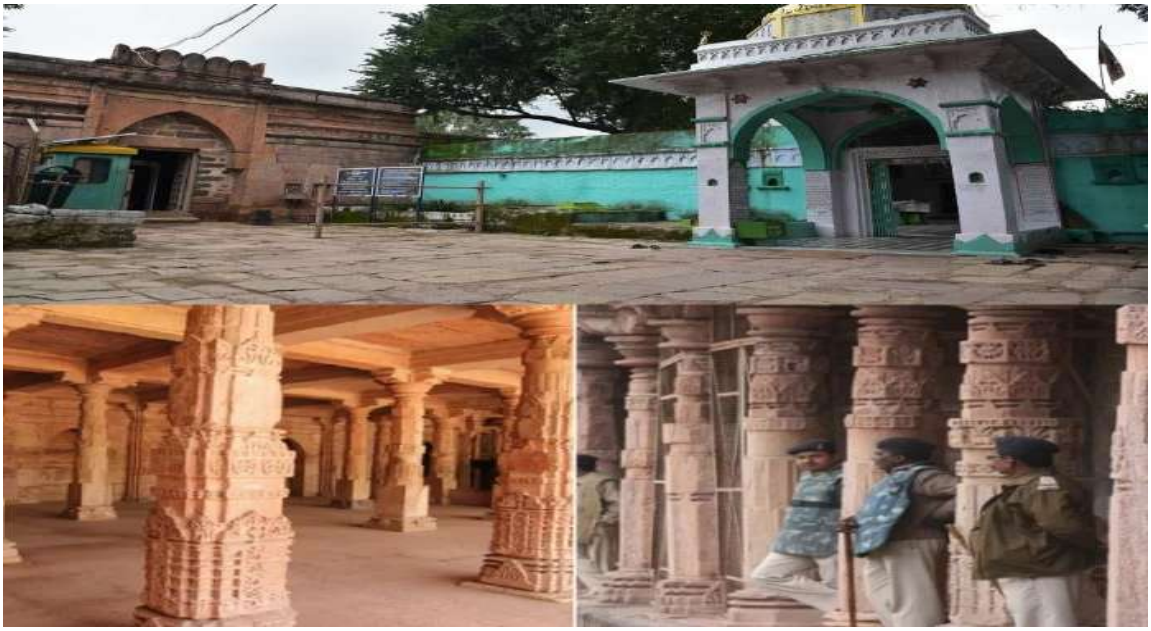

प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया था। हालांकि, मुसलमानों ने इस सर्वेक्षण का बहिष्कार किया था।

भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने दावा किया है कि इस सर्वेक्षण के दौरान पत्थर से बनी भगवान कृष्ण की एक मूर्ति भी मिली है, जो नाग के फन पर सवार हैं। भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर के एक भाग में शिव, सरस्वती और हनुमान आदि हिंदू देवी-देवताओं की अनेक खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इन मूर्तियों और पुरावशेषों को अपने पास सुरक्षित रख लिया है। कमाल मौला वेल्फेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद का दावा है कि खुदाई के दौरान मस्जिद के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक झोपड़ीनुमा ढांचे से ये मूर्तियां मिली हैं, इसलिए इन्हें सर्वेक्षण में शामिल न किया जाए।

हिंदू पक्ष का कहना है कि भोजशाला का निर्माण महाराजा भोज ने एक संस्कृत महाविद्यालय के रूप में करवाया था, जिसे बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने एक दरगाह में बदल दिया और उसमें एक सूफी मौलाना कमालुद्दीन की कब्र भी बना दी। पुरातत्व विभाग को इस भवन के भग्नावशेष से वाग्देवी की जो प्रतिमा मिली थी वह इन दिनों लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में है। भोजशाला में जुमे (शुक्रवार) के दिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति है। जबकि हिंदू मंगलवार को वहां पर पूजा कर सकते हैं।

ज्ञानवापी की तरह भोजशाला का विवाद भी एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है। हिंदू इसे वाग्देवी का मंदिर बताते हैं। जबकि मुसलमान इसे मौलाना कमालुद्दीन की मस्जिद मानते हैं। यहां पर सरस्वती पूजा के मौके पर दोनों संप्रदायों में तनाव पैदा हो जाता है। हिंदू पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने 19 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 11 मार्च को सुनाया गया। अदालत ने ज्ञानवापी की तरह इस मामले में भी एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था। सर्वे के साथ-साथ इस भवन की कार्बन डेटिंग भी करवाई गई। इस सर्वे को भोपाल रेंज के एएसआई के निदेशक के नेतृत्व में करवाया गया।

की एक प्रतिमा भी स्थापित की थी, जो इन दिनों लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद है। विलिस ने यह भी पुष्टि की है कि इस दरगाह के स्तंभ किसी प्राचीन हिंदू मंदिर के हैं। इस दरगाह के फर्श पर छह संस्कृत शिलालेख भी मौजूद हैं, जो दसवीं शताब्दी के बताए जाते हैं।

इस मस्जिद और दरगाह का उल्लेख दो ब्रिटिश पुरातत्व विशेषज्ञों जॉन मैल्कम और विलियम किनकैड ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि यह भवन निश्चित रूप से एक हिंदू भवन है। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक ओसी गांगुली ने 1943 में ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद परमारकालीन वाग्देवी की मूर्ति का निरीक्षण किया था। उन्होंने यह दावा किया है कि इस मूर्ति में एक संस्कृत भाषा का शिलालेख आज भी मौजूद है। इस मूर्ति का निर्माण महाराजा भोज ने करवाया था और इसे सरस्वती मंदिर में स्थापित किया था। 2003 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भोजशाला का उद्धार मुख्य चुनावी मुद्दा बना था। इसके कारण मध्य प्रदेश की सत्ता तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथ से निकल गई थी और राज्य में भाजपा सत्तारूढ़ हो गई थी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2022 में मध्य प्रदेश विधानसभा में यह घोषणा की थी कि सरकार वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से वापस लाने के लिए प्रयत्नशील है। ■

टिप्पणी: पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार भोजशाला, जिसे सरस्वती सदन भी कहा जाता है का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने 1034 में करवाया था। महाराजा भोज का शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी तक बताया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस विवाद का केंद्र धार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर है। मुसलमानों का दावा है कि इस मस्जिद परिसर में कमालुद्दीन का मजार है। कमालुद्दीन चिश्ती सूफी थे और वे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके सेनापति दिलावर खान ने भोजशाला को जबरन एक मस्जिद में बदल दिया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पुरातत्व विशेषज्ञ माइकल विलिस ने अपने शोधपत्र में इस बात की पुष्टि की है कि भोजशाला का निर्माण परमार वंश के महाराजा भोज ने करवाया था। उन्होंने इस परिसर में ज्ञान की देवी सरस्वती

विश्व

मुस्लिम देश ताजिकिस्तान में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध

औरंगाबाद टाइम्स (22 जून) के अनुसार मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान की संसद ने हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 700 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या इस्लामी नेता इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा तो उसे 4800 डॉलर तक का जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि ताजिकिस्तान कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगी हुई हैं और तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर रखा है। इस कानून के तहत महिलाओं के लिए बुर्का व हिजाब पहनना अनिवार्य है। यदि कोई महिला बुर्का या हिजाब पहने बिना घर से बाहर निकलती है तो उसे सौ कोड़े मारने के साथ-साथ दो साल तक कैद की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त उसके पिता या पति को भी पांच साल की कैद और 100 कोड़े मारने की सजा हो सकती है।

ताजिकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन (मजलिसी मिल्ली) ने 19 जून को हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध का कानून पारित किया है। इससे पहले 8 मई को संसद के निम्न सदन (मजलिसी नमोयंदगोन) ने इस कानून को पारित किया था। इस कानून में ईद के मौके पर बच्चों के विदेशी पोशाक पहनने पर रोक लगाने का प्रावधान है। जो व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा उसे छह महीने की कैद हो सकती है। खास बात यह है कि इस प्रतिबंध का समर्थन ताजिकिस्तान के दोनों सदनों के लगभग सभी सांसदों ने किया है। उनका कहना है कि बुर्का और हिजाब ताजिकिस्तान की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा नहीं है। यह एक विदेशी लिबास है, जिसे ताजिक जनता पर जबरन थोपा गया है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी या व्यक्ति हिजाब और बुर्का बनाता है या उन्हें विदेशों से मंगवाता है तो आरोपी को दस हजार डॉलर का जुर्माना भरना पड़ेगा।

गौरतलब है कि बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के बाद ताजिकिस्तान विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है, जहां पर बुर्का और हिजाब जैसे इस्लामी लिबास पर कानूनन प्रतिबंध है। इन देशों में स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम,

चाड, गैबॉन, बुल्गारिया, लातविया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और श्रीलंका शामिल हैं।

पृष्ठभूमि : ताजिकिस्तान की जनसंख्या लगभग एक करोड़ है और इसका क्षेत्रफल 142,600 वर्ग किलोमीटर है। ताजिकिस्तान में मुख्यत: पांच भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें ताजिक, रूसी, उज्बेक, किर्गिज और तुर्कमेन शामिल हैं। इसकी राजधानी दुशांबे है। कभी इस देश में बौद्ध मतावलंबी बहुसंख्यक थे। 8वीं शताब्दी में अरबों ने इस पर आक्रमण किया और पूरी आबादी को जबरन मुसलमान बना दिया। इसके बाद यह बगदाद के खलीफाओं के साम्राज्य का हिस्सा भी रहा। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान ने ताजिकिस्तान और मध्य एशिया के बाकी हिस्सों पर जीत दर्ज की और यह मंगोल साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। बाद में इस पर तैमूर ने कब्जा कर लिया। 1860 में इसके एक हिस्से पर रूस के जार ने कब्जा कर लिया। जबकि दक्षिणी हिस्से पर बुखारा के अमीर का कब्जा बरकरार रहा।

ताजिकिस्तान रूसी क्रांति के बाद 1920 के दशक में सोवियत संघ का हिस्सा बना। 1978 में इस क्षेत्र में सोवियत कानून के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। 1980 के दशक में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की उदार नीति के कारण ताजिकिस्तान सोवियत संघ से अलग हो गया। 1991 में ताजिकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद इस देश में गृहयुद्ध छिड़ गया। इस गृहयुद्ध में कम-से-कम 20 हजार लोग मारे गए। 1997 में सरकार और विद्रोही संगठन संयुक्त ताजिक विपक्ष (यूटीओ) ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद राष्ट्रपति इमोमली रहमान ने इस देश का शासन तंत्र अपने हाथ में ले लिया। तब से वे ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2011 में ताजिकिस्तान ने चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया और उसने अपना कुछ क्षेत्र चीन के हवाले कर दिया। इसके एक साल बाद उसने इस क्षेत्र में बढ़ते हुए इस्लामी आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ताजिकिस्तान पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह पंजशीर क्षेत्र में तालिबान के खिलाफ संघर्षरत विद्रोहियों को सहायता प्रदान कर रहा है। इन दिनों ताजिकिस्तान का कजाकिस्तान के साथ भी विवाद चल रहा है।

पाकिस्तान में उग्र भीड़ ने एक पर्यटक को जिंदा जलाया

सहाफत (22 जून) के अनुसार पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के स्वात क्षेत्र में पठानों की उग्र भीड़ ने कुरान के कथित अपमान के आरोप में एक होटल में रूके पंजाबी पर्यटक को पुलिस की हिरासत से खींचकर जिंदा जला दिया। स्वात के जिला पुलिस अधिकारी डॉ. जाहिदुल्लाह खान ने बताया कि जिस व्यक्ति को जिंदा जलाया गया है उसका नाम मोहम्मद सलमान था। वह पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है। यह मुस्लिम व्यक्ति पर्यटक के रूप में स्वात आया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने नगर में यह अफवाह फैला दी कि होटल में रूके इस पंजाबी व्यक्ति ने कुरान

की तौहीन की है। इस इलाके में यह समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया और उत्तेजित भीड़ ने इस होटल को घेर लिया। भीड़ होटल प्रबंधकों से यह मांग कर रही थी कि वे मोहम्मद सलमान को उनके हवाले कर दें। इसी दौरान होटल वालों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सलमान को अपनी हिरासत में लिया और उसे अपने वैन में बैठा लिया। जब पुलिस सलमान को थाने ले जा रही थी तो भीड़ ने इस पुलिस वैन पर हमला किया और उसे जबरन अपने चंगुल में ले लिया। पहले तो सलमान के साथ खूब मारपीट की गई। जब वह बेहोश हो गया तो उस पर डीजल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया।

पंजाब बचाओ अभियान के प्रमुख जफर झाला ने पंजाबियों से अपील की है कि वे खैबर पख्तूनख्वा में जाने से बचें, क्योंकि वहां पर पंजाबी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबियों और पठानों के बीच की दुश्मनी जगजाहिर है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने जनता से अपील की है कि वे कानून को अपने हाथ में न लें। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार उत्तेजक भीड़ ने इस पूरे क्षेत्र को घेर रखा है और होटलों में ठहरे हुए पर्यटक अपने कमरों में छिपे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बात का खंडन किया है कि पाकिस्तान में पंजाबियों और पठानों के बीच किसी भी तरह की दुश्मनी है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने नेशनल असेंबली में यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर लोगों के साथ लक्षित हिंसा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लगभग हर दिन अल्पसंख्यकों का कत्ल किया जा रहा है और हम उन्हें सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। इस वजह से पाकिस्ताान की दुनियाभर में बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस्लाम से जुड़े हुए विभिन्न समुदाय भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि, पाकिस्तान के संविधान में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है। इस्लाम और पैगंबर की तौहीन की आड़ में कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी

गई। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों द्वारा अहमदियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है वह दिन-प्रतिदिन खतरनाक रूप ले रहा है। इसी तरह से ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। उन्हें इस देश में रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि बहुसंख्यक मुसलमानों का।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में इस्लाम और रसूल की तौहीन के नाम पर किसी व्यक्ति को जिंदा जलाने की यह एकमात्र घटना नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक के शासनकाल में जबसे कुरान, रसूल और इस्लाम की कथित तौहीन के आरोपियों को मौत की सजा देने का सिलसिला शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार 1990 से लेकर अब तक उग्र भीड़ द्वारा 80 से अधिक लोगों की हत्या की जा चुकी है। पिछले महीने सरगोधा में उग्र भीड़ ने एक ईसाई व्यक्ति पर कुरान का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके बाद उस व्यक्ति के घर को आग के हवाले कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

रूस में ईसाइयों और यहूदियों के उपासना स्थलों पर आतंकी हमला

सहाफत (25 जून) के अनुसार रूस के दागिस्तान क्षेत्र में आतंकियों ने ईसाई और यहूदी उपासना स्थलों के अतिरिक्त पुलिस चौकियों पर भी हमले किए। इन आतंकियों ने दो गिरजाघरों और यहूदी उपासना स्थलों पर फायरिंग की। इसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। रूस की सरकारी संवाद समिति 'तास' के अनुसार इन हमलों में 25 से अधिक लोग मारे गए। मरने वालों में ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक पादरी भी शामिल है। आतंकियों ने चाकू से इस पादरी की गर्दन काट दी थी। इन हमलों में जो आर्थोडॉक्स चर्च तबाह हुआ है वह 500 साल पुराना था और यूनिस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल था। इस हमले में 15 पुलिसकर्मी और अनेक नागरिक भी मारे गए हैं। सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई में छह हमलावरों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क 'सीएनएन' के अनुसार मरने वालों की संख्या सरकारी बयान से काफी अधिक है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि हमलावर कौन थे?

रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे इस्लामी आतंकी हमला बताया है। बताया जाता है कि यह हमला मुस्लिम बहुल क्षेत्र उत्तरी काकेशस के समीप हुआ है। आतंकियों ने दागिस्तान की राजधानी मखष्कला और डर्बेन्ट पर भी हमले किए। रूस की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति ने भी इसे आतंकी हमला करार दिया है और कहा है कि हमलावरों की संख्या लगभग दो दर्जन थी, जो चार वाहनों में सवार होकर आए थे। पुलिस

की जवाबी कार्रवाई के बाद बाकी हमलावर मौके से फरार हो गए। हमलावरों ने काले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर नकाब लगा रखा था। बताया जाता है कि हमलावर मुस्लिम बहुल क्षेत्र काकेशस की ओर भागे और वहीं कहीं छिप गए। आतंकवादियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इनका संबंध एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन से बताया जाता है।

दागिस्तान सरकार ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन और नाटो देशों की कुछ खुफिया एजेंसियों का हाथ है। दागिस्तान के मंत्री अब्दुल खाकिम गादजियेव ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये हमलावर नाटों की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए थे। यूक्रेन ने इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। जबकि चेचन्या के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव ने कहा है कि यह हमला उकसाने वाला है। रूस में एक वर्ष में यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले मॉस्को के एक संगीत कार्यक्रम में जमा भीड़ पर आतंकियों के एक गिरोह ने बमों, राइफलों और मशीन गनों से हमला किया था, जिसमें कम-से-कम 143 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। रूस सरकार ने यह आरोप लगाया था कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है। जबकि यूक्रेन ने कहा था कि इस हमले से उसका कोई संबंध नहीं है। बाद में घटनास्थल से पकड़े गए चार हमलावरों को रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी हिरासत में ले लिया था और उनसे की गई पूछताछ के बाद रूसी सरकार ने यह दावा किया कि इस हमले के पीछे इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान चैप्टर का हाथ है। आईएसआईएस के प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि यह हमला उनके ही कैडर ने किया था।

गौरतलब है कि आईएसआईएस के खुरासान चैप्टर का नाम खुरासान खिलाफत के नाम पर रखा गया है। 8वीं शताब्दी में खुरासान खिलाफत के तहत उत्तर पूर्वी ईरान, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान के क्षेत्र आते थे। यह संगठन सबसे पहले 2014 में पूर्वी अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ था। तब रूस के आतंकी समूहों के अनेक इस्लामी आतंकवादी इसमें शामिल होकर सीरिया गए थे और उन्होंने वहां के गुप्त शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आईएसआईएस रूस

सरकार के खिलाफ है। उसका आरोप है कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार चेचन्या और सीरिया में मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च को रूस स्थित अमेरिकी दूतावास ने रूस सरकार को यह सूचना दी थी कि उनके देश में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। दूतावास ने यह दावा किया था कि इस्लामी आतंकी संगठन मॉस्को में होने वाले संगीत समारोह में हमले की साजिश रच रहे हैं। रूसी सरकार ने अमेरिका द्वारा आतंकी हमले की चेतावनी देने की निंदा की थी। रूसी सुरक्षा एजेंसी 'एफएसबी' के निदेशक अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव ने दावा किया था कि मॉस्को में हुए इस हमले के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों को यह निर्देश दिया गया था कि वे मॉस्को में हमला करने के बाद वहां से भागकर यूक्रेन की सीमा में शरण लें। उन्होंने यह भी दावा किया था कि यूक्रेन मध्य पूर्व में इस्लामी आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है।

निकारागुआ ने दी तालिबान सरकार को मान्यता

रोजनामा सहारा (24 जून) के अनुसार मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया है। यह पहला देश है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की पहल की है। फ्रांसीसी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार चीन में निकारागुआ के राजदूत माइकल कैम्पबेल को काबुल में राजदूत का पदभार संभालने का निर्देश दिया गया है। अभी वे चीन और अफगानिस्तान दोनों देशों में राजदूत का कार्य करेंगे। अफगान सरकार के अनुसार निकारागुआ के उपराष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की विधिवत घोषणा की है।

गौरतलब है कि चीन ने हालांकि अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद उसने काबुल में अपना राजदूत नियुक्त कर रखा है। तालिबान सरकार ने पिछले साल के दिसंबर महीने में चीन में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया था। बता दें कि पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान सरकार को मान्यता देने से इसलिए इंकार किया है, क्योंकि वहां पर मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान की महिलाएं अकेले यात्रा भी नहीं कर सकती हैं।

हिंदुस्तान (23 जून) के अनुसार अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हाल में अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी सशस्त्र गिरोहों के हमलों में भारी वृद्धि हुई है। तालिबान सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने वालों में अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट प्रमुख हैं। इन दोनों सशस्त्र संगठनों का संबंध अफगानिस्तान से अपदस्थ पुरानी सरकार से है, जिन्हें तालिबान ने सत्ता से बेदखल कर दिया था।

इन विद्रोही गुटों ने यह दावा किया है कि पिछले दो महीनों में उन्होंने अफगान सरकार के 50 से अधिक प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों की हत्या की है। ये विद्रोही अफगानिस्तान के पूर्वी और उत्तर पूर्व क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं।

गौरतलब है कि इन क्षेत्रों में तालिबान को अपने पहले कार्यकाल में भी जबर्दस्त विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इन दोनों विद्रोही संगठनों ने दावा किया है कि उनका सशस्त्र कैडर तालिबान के सैन्य अड्डों पर निरंतर हमले कर रहा है। नेशनल रेंजिस्टेंस फ्रंट ने पिछले तीन महीनों में 29 हमलों की पुष्टि की है, जिनमें 20 काबुल में और बाकी हमले उत्तर अफगान क्षेत्रों में किए गए हैं। वहीं, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने इस अवधि में काबुल के आसपास के क्षेत्रों में 14 हमले किए। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि विद्रोही उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापसी के समय वहां पर छोड़ आई थी। इस साल के 26 फरवरी को इस संगठन ने काबुल के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया था। इस हमले में कुछ सैन्य वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा था।

इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान नेताओं के बीच आंतरिक मतभेद तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें हिबतुल्लाह अखुंदजादा और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच सत्ता के लिए बढ़ते हुए संघर्ष का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तालिबान के कतर स्थित कार्यालय के प्रमुख सुहैल शाहीन ने संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट को निराधार बताया है और यह दावा किया है कि अफगान सरकार विद्रोही तत्वों को तबाह करने का प्रयास कर रही है और उसका देश के सभी 34 प्रांतों पर पूरा नियंत्रण है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और लड़कियों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे शरिया के अनुरूप हैं और हम इस प्रतिबंध को किसी कीमत पर वापस नहीं लेंगे। प्रवक्ता ने दावा किया है कि यह अफगान सरकार का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि हम इस्लामी शरिया को अपनी जनता में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हिंदुस्तान (22 जून) के अनुसार जर्मनी की सरकार ने यह फैसला किया है कि जर्मनी में अवैध रूप से जो अफगान नागरिक रह रहे हैं उन्हें देश से निष्कासित करके वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने कहा है कि ये अफगान नागरिक हमारे लिए सिरदर्द बने हुए हैं और वे जर्मनी में हिंसा भड़का रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जर्मन पुलिस पर भी सुनियोजित ढंग से हमले किए हैं। जर्मनी के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि हमारे सामने कठिनाई यह है कि तालिबान सरकार के साथ हमारा कोई राजनयिक संबंध नहीं है। हमने 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम इन अफगान नागरिकों को देश से निष्कासित करके किसी मित्र देश के माध्यम से उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज सकें। प्रवक्ता ने कहा कि जर्मन सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वह किसी विदेशी नागरिक को अवैध रूप से जर्मनी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगी।

पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख पर इमरान सरकार का तख्ता पलटने का आरोप

हिंदुस्तान (17 जून) के अनुसार अवामी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि इमरान सरकार का तख्ता पलटने के पीछे पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ है। एआरवाई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुझे यह बताया गया था कि सेना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की सरकार को गिराना चाहती है। सेना ने मुझ पर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेताओं पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि हम राष्ट्रीय असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ पेश होने वाले अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें और उसके खिलाफ वोट करें। मैंने इस संदर्भ में इमरान खान को संकेत भी दिया था कि सेना उनकी सरकार का तख्ता पलटने के लिए सक्रिय हो चुकी है।

संवाददाता ने जब शेख रशीद से पूछा कि पाकिस्तानी सेना में कौन ऐसा अधिकारी था, जो इमरान सरकार का तख्ता पलटने की साजिश रच रहा था? इस पर शेख रशीद ने कहा कि इस साजिश को रचने वाले पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख कमर जावेद बाजवा थे। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती कि पीटीआई और पाकिस्तान की वर्तमान सरकार के बीच के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसी वार्ता की शुरुआत हो सकती है। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के प्रमुख नवाज शरीफ पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बेहतर नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान की वर्तमान सरकार को 'दिखावे वाली सरकार' करार दिया और कहा कि पाकिस्तान का भविष्य तय करने के लिए अगले दो महीने बेहद महत्त्वपूर्ण है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक टेलीविजन चैनल को बताया कि सत्ता में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने पाकिस्तानी सेना और उसके प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर विश्वास किया था। उन्होंने कहा कि बाजवा के कारण ही प्रशासन और न्यायपालिका ने उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। मेरी यह भी गलती थी कि मैंने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा के कार्यकाल में वृद्धि की। उन्होंने कहा कि आज जो मैं जेल में हूं, वह कमर बाजवा की साजिशों का ही नतीजा है। मैं इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता। इमरान ने कहा कि बाजवा ने जानबूझकर मेरी सरकार के खिलाफ साजिश की। उन्होंने मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सैन्य ठिकानों पर हमला करने की झूठी कहानियां गढ़ीं और उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में प्रसारित करवाया। मैं पाकिस्तान में निष्पक्ष सिविलियन सरकार का समर्थक हूं। मैं सेना की कठपुतली के रूप में कार्य करने के लिए न तो पहले तैयार था और न ही अब तैयार हूं।

स्लोवेनिया और आर्मीनिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता

अवधनामा (22 जून) के अनुसार आर्मीनिया के विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि मध्य पूर्व में शांति की स्थापना के लिए आर्मीनिया ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गाजा में स्थिति बेहद गंभीर है, इसलिए हम सभी को मिलकर वहां पर शांति स्थापित करने के लिए काम करना होगा। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (पीएलओ) के सचिव हुसैन अल-शेख ने आर्मीनिया के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह कानून, न्याय और फिलिस्तीनी जनता की जीत है। दूसरी ओर, इजरायल के विदेश मंत्रालय ने आर्मीनिया के इस फैसले को शांति के लिए खतरा बताया है। इजरायल सरकार ने आर्मीनिया के राजदूत को अपने विदेश मंत्रालय में बुलाकर उन्हें एक विरोध पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि आर्मीनिया का यह कदम आतंकवाद को प्रोत्साहन देगा।

इससे पहले **इंकलाब** (6 जून) के अनुसार स्लोवेनिया की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान करने का फैसला किया है। स्लोवेनिया के 90 सांसदों में से 52 ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। जबकि शेष सांसद अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव में कहा गया है कि दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से ही मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो सकती है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने संवाददाताओं को बताया कि स्लोवेनिया की सरकार ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गाजा में स्थाई शांति की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि इजरायल और हमास में कोई समझौता हो और बंधकों को तुरंत रिहा किया जाए। स्लोवेनिया की संसद पर यूरोपीय यूनियन के झंडे के साथ-साथ फिलिस्तीन का भी झंडा लहराया गया है। बता दें कि इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की विधिवित घोषणा की थी। इस पर इजरायल ने इन तीनों देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में से स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे चुके हैं।

हाजियों की भारी संख्या में मौत से मुस्लिम जगत में मचा बवाल

इस वर्ष सऊदी अरब में भीषण गर्मी की वजह से कम-से-कम 2000 से अधिक हाजियों के मारे जाने के कारण मुस्लिम देशों में बवाल मच गया है। अभी तक सऊदी सरकार सरकारी तौर पर 1500 से अधिक हाजियों के मरने की पुष्टि कर चुकी है। जबकि अल जजीरा का कहना है कि मरने वालों की संख्या 2000-2500 तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने अभी तक सरकारी तौर पर मृतकों की पूरी संख्या की घोषणा नहीं की है। अब सऊदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यह सफाई पेश कर रही है कि जो लोग मारे गए हैं उनमें से अधिकांश लोग हज करने का वीजा लेने के बजाय पर्यटक वीजा पर सऊदी अरब आए थे, इसलिए वे सऊदी सरकार द्वारा हज यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सके। गौरतलब है कि हज शुरू होने से पहले सऊदी सुरक्षा विभाग ने यह दावा किया था कि उसने मक्का से तीन लाख से अधिक लोगों को बाहर करके नजरबंदी शिविरों में रखा है, क्योंकि उनके पास हज यात्रा के लिए जारी परमिट नहीं थे।

इंकलाब (23 जून) के अनुसार हाजियों की मौत के कारण ट्यूनीशिया के धार्मिक मामलों के मंत्री इब्राहिम चैबी को ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले ट्यूनीशिया के विदेश मंत्रालय ने 49 हाजियों के मरने की पुष्टि की थी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ट्यूनीशिया के जो व्यक्ति सऊदी अरब में मरे हैं वे पर्यटक वीजा पर सऊदी अरब गए थे और वे ट्यूनीशिया के सरकारी कोटा का हिस्सा नहीं थे। मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति ने इसके लिए धार्मिक मामलों के मंत्रालय को दोषी ठहराया है और इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है।

अखबार-ए-मशरिक (24 जून) के अनुसार सऊदी अरब में हज के दौरान सबसे ज्यादा मौत मिस्र के लोगों की हुई है। मिस्र की सरकार ने उच्च स्तर पर इस घटना की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मिस्र के 800-900 हाजी सऊदी अरब में मरे हैं। हज मामलों के मंत्रालय के अनुसार मरने वालों की संख्या में और भी वृद्धि हो सकती है। मिस्र सरकार ने हाजियों को सऊदी अरब भेजने वाले 16 टूर ऑपरेटरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और इस धंधे से जुड़े हुए 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने इन सभी कंपनियों और उनके प्रबंधकों के खिलाफ विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाने का फैसला किया है।

मिस्र के सरकारी प्रवक्ता ने यह आरोप लगाया है कि इन कंपनियों ने मिस्र के लोगों को हज वीजा के बजाय व्यक्तिगत यात्रा वीजा पर मक्का भेजा था। सऊदी सरकार व्यक्तिगत यात्रा वीजा पर सऊदी अरब जाने वाले लोगों को किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है। न ही उन्हें सरकारी अस्पतालों में दाखिल किया जाता है और न ही उन्हें आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

हिंदुस्तान (25 जून) के अनुसार सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहाद अल-जलाजेल ने कहा है कि जो व्यक्ति हज के दौरान मारे गए हैं उनमें से लगभग 83 प्रतिशत लोगों के पास हज परमिट नहीं थे। यही कारण है कि वे सरकार द्वारा हाजियों के लिए बनाए गए वातानुकूलित आवासों का लाभ नहीं उठा सके और न ही सरकार उन्हें चिकित्सा सुविधाएं ही उपलब्ध करवा सकी। उन्होंने कहा कि सरकार मरने वाले सभी लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जिन मृतकों की पहचान हो जाएगी उनके शवों को उनके देश भेज दिया जाएगा, लेकिन जिन शवों की पहचान नहीं होगी उन्हें सऊदी अरब में ही दफन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल हज के दौरान पांच लाख से अधिक लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थीं। इनमें ओपन हार्ट सर्जरी भी शामिल थी।

रोजनामा सहारा (22 जून) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह दावा किया है कि मरने वालों में से 1500 व्यक्ति हज सीजन शुरू होने से पहले ही पर्यटक वीजा और व्यक्तिगत यात्रा वीजा पर सऊदी अरब पहुंचे थे, इसलिए उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास, भोजन और परिवहन की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका।

रोजनामा सहारा (26 जून) के अनुसार सऊदी सरकार की गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि हज के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें कुछ देशों की हज टूर कमेटियों ने जाली हज वीजा देकर सऊदी अरब भेजा था। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि विदेशों में स्थित इन टूर ऑपरेटरों का संपर्क सऊदी अरब की कौन सी कंपनी के साथ था। सऊदी हज मामलों के मंत्रालय ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि जाली हज वीजा बनाने वालों के खिलाफ विशेष अदालतों में मुकदमा चलाया जाए।

रोजनामा सहारा (24 जून) के अनुसार लगभग एक लाख यात्रियों ने सऊदी एयरलाइंस के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई थीं। इन शिकायतों की जांच करने के बाद 1318 शिकायतों में संबंधित व्यक्तियों को दोषी पाया गया है। दोषी कंपनियों और उनके प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

सहाफत (25 जून) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह सफाई दी है कि उसने हाजियों के लिए जो चिकित्सा तंत्र विकसित किया था उसके कारण देश में हज के दौरान किसी भी तरह की

महामारी नहीं फैली है। कुर्बानी के जानवरों के अवशेषों को भी सरकार ने कारगर ढंग से डिस्पोज किया है ताकि उनके कारण देश में महामारी न फैले।

इंकलाब (29 जून) के अनुसार मिस्र की सरकार ने मिस्र के निवासियों को पर्यटक वीजा पर हज के मौके पर सऊदी अरब भेजने के आरोप में दो टूरिस्ट कंपनियों के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मिस्र के लोगों को हज करने के लिए गलत तरीके से सऊदी अरब भेजा और वहां पर उनकी मौत हो गई। इसके अतिरिक्त इन टूरिस्ट कंपनियों के कर्मचारियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सऊदी अरब भेजे गए लोगों के लिए आवास, भोजन और चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की थी।

नाइजीरिया में इस्लामी आतंकवादियों के हमले में 18 की मौत

सहाफत (1 जुलाई) के अनुसार नाइजीरिया के पूर्वोत्तर राज्य बोर्नो में इस्लामी आतंकवादियों ने तीन विभिन्न स्थानों पर आत्मघाती हमले किए, जिनमें कम-से-कम 18 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। आतंकियों ने एक विवाह समारोह, एक अस्पताल और एक अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को अपना निशाना बनाया। इन हमलों के पीछे इस्लामी आतंकी संगठन बोको हराम का हाथ होने का दावा किया गया है। फ्रांसीसी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार बोको हराम ने नाइजीरिया में पिछले एक दशक से उत्पात मचा रखा है और यह आतंकी संगठन अब तक 10 हजार से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है। बोको हराम का संबंध एक अन्य इस्लामी आतंकी संगठन अल-शबाब और अलकायदा से है।

संवाद समितियों के अनुसार एक महिला अपने शरीर पर विस्फोटक पदार्थ बांध कर एक विवाह समारोह में आई और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस के प्रवक्ता ने कहा है कि यह धमाका आईईडी से किया गया था। इसके अतिरिक्त दो महिला आत्मघाती हमलावरों ने एक अस्पताल को निशाना बनाया। इस हमले में कम-से-कम पांच लोग मारे गए। एक अन्य हमले में एक महिला ने अपने शरीर पर बारूद बांधकर एक अंतिम संस्कार में शामिल हुई और खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले में अंतिम संस्कार में शामिल सात लोग मारे गए। इसके बाद एक सैन्य चौकी पर हमला किया गया और तीन सैनिकों की हत्या कर दी गई। सरकारी तौर पर अभी इस हमले की पुष्टि नहीं की गई है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। अभी तक बोको हराम आतंकी गतिविधियों के लिए पुरुषों का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन अब उसने आत्मघाती कैडर में शामिल महिलाओं का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

तुर्किये में घरेलू हिंसा में वृद्धि

सियासत (30 जून) के अनुसार तुर्किये में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कई बार चेतावनी भी दी गई है और सरकार से आग्रह किया गया है कि वह इस्तांबुल कन्वेंशन में हुए फैसलों को कार्यान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके बावजूद तुर्किये की महिलाएं अपने पतियों की हिंसा का शिकार हो रही हैं। सरकारी सूचनाओं के अनुसार इस महीने घरेलू हिंसा में 10 महिलाओं की मौत हुई है। महिला संगठनों का आरोप है कि इस समय तुर्किये में महिलाओं के संरक्षण के जो कानून लागू हैं, वे बहुत कमजोर हैं। अगर पत्नी के साथ मारपीट करने पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है तो आम तौर पर अदालतें दोषी को सजा नहीं देती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि देश के वर्तमान कानूनों में संशोधन करके उन्हें कड़ा बनाया जाए। देश में महिलाओं के उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं के रोकथाम के लिए एक नया महिला संगठन बनाया गया है, जिसका नाम 'स्टॉप द किलिंग ऑफ वुमेन' है। इस संगठन ने हाल ही में तुर्किये की उन महिलाओं की एक विस्तृत सूची जारी की है, जो अपने पतियों द्वारा की गई हिंसा की वजह से मारी गई हैं।

हाल ही में 19 वर्षीय सुकरान एबा की उसके पति हकीम एबा ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि सुकरान अपने पति के उत्पीड़न से तंग आकर उससे तलाक चाहती थी। इससे उत्तेजित होकर हकीम ने सुकरान की हत्या कर दी। उसी दिन एक अन्य घटना में एक 31 वर्षीय महिला फातमा कहरमान का उसके पति रिदवान कहरमान के साथ झगड़ा हुआ। इसके बाद रिदवान ने अपनी पत्नी फातमा की गोली मारकर हत्या कर दी। एक अन्य घटना में तुर्किये के दक्षिण क्षेत्र में स्थित गाजियांटेप प्रांत में 68 वर्षीय फातमा मर्कडागी की उसके 71 वर्षीय पति मेहमत एमिन मर्कडागी ने घर वालों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। अजीब बात है कि पुलिस ने अभी तक मेहमत एमिन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। दूसरी ओर, बालिकेसिर नगर में 62 वर्षीय सेवरी गोकील्डिज ने पारिवारिक झगड़े के कारण अपनी 55 वर्षीय पत्नी मैजर गोकील्डिज की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारे पति ने खुद पर भी गोली चला ली। गंभीर रूप से घायल सेवरी गोकील्डिज अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। महिला संगठन ने तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से आग्रह किया है कि तुर्किये के कानून में फौरन संशोधन किया जाए और इस संबंध में एक अध्यादेश जारी करके महिलाओं की जान व माल की सुरक्षा की ठोस व्यवस्था की जाए।

कुवैत के अमीर के विरोधी नेता को सजा

हिंदुस्तान (26 जून) के अनुसार कुवैत की फौजदारी अदालत ने पूर्व सांसद वलीद अल-तब्ताबाई को देशद्रोह के एक मुकदमे में चार साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने एक ट्वीट में कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद के अधिकारों की अवमानना की है। जबकि वलीद ने सरकार के इस आरोप का खंडन किया था। उन्होंने अदालत में दावा किया कि जिस ट्वीट के लिए उन्हें सरकार ने कैद किया है वह बुनियादी तौर पर एक फोटोशॉप पोस्ट थी, जिसे अमीर के विरोधियों ने जानबूझकर तैयार किया था। मुझे अमीर को बदनाम करने की साजिश की कोई जानकारी नहीं थी। वलीद को इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है। इख्वानुल मुस्लिमीन पर मिस्र सहित अनेक अरब देशों में प्रतिबंध है।

बताया जाता है कि जब कुवैत के अमीर ने राष्ट्रीय असेंबली को भंग करके संविधान की कुछ धाराओं को निलंबित कर दिया था तो वलीद ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि यह कुवैत की जनता के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। हम कुवैत की जनता के मूलभूत अधिकारों और उनके लिए संविधान में की गई व्यवस्था को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। अमीर ने संसद को भंग करने का जो फरमान जारी किया है उसे हम स्वीकार नहीं करते और हम उसका विरोध करेंगे। अगले दिन उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कुछ विदेशी शक्तियां कुवैत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। गौरतलब है कि वलीद अल-तब्ताबाई को इससे पहले 2011 में संसद में जबरन प्रवेश करने के आरोप में कुवैत की एक अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई थी। बाद में कुवैत के तत्कालीन अमीर शेख सबा अल-अहमद ने ईद के अवसर पर कैदियों के लिए क्षमादान की घोषणा की। इसके बाद वलीद को भी जेल से रिहा कर दिया गया और उनकी बाकी की सजा माफ कर दी गई। कुवैत के राजनीतिक क्षेत्रों में वलीद को कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद का विरोधी माना जाता है। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in